शोध साहित्य SHODH SAHITYA
INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL
(समसामयिक विषयों पर केंद्रित बहुविषयक मासिक ई-शोध पत्रिका)
E-ISSN 2584-2447
Impact Factor – SJIF 2024 = 3.621
Year -1 Vol -9 July 2024

# ग्रामीण उद्यमिता : विकास, अवसर एवं चुनौतियां

**पंकज गुप्ता**
**शोधार्थी वाणिज्य विभाग**
**महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर**

**डॉ. ओ.पी.अरजरिया**
**शोध निर्देशक**
**महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर**

**सारांश**

ग्रामीण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिनका लाभ ग्रामीण उद्यमिता के लिए उचित रणनीति विकसित करके उठाया जा सकता है। ग्रामीण उद्यमिता में अविश्वसनीय अवसर हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे और जागरूकता की कमी के कारण लोग ग्रामीण उद्यमिता को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसके अलावा, शहरी जीवन की चकाचौंध इतनी व्यापक हो गई है कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के बजाय शहरी क्षेत्रों में पलायन करना पसंद करते हैं । लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ-साथ सरकार के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए, ग्रामीण उद्यमिता रोजगार और आय सृजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करेगी।

**कुंजीभूत शब्द**

ग्रामीण उद्यमिता, खादी एवं ग्राम आयोग, स्वयं सहायता समूह, सहकारिता, गैर सरकारी संगठन।

## परिचय

भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की लगभग तीन-चौथाई आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और इनमें से 75% लोग अभी भी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी लोगों की आर्थिक गतिविधियों के बीच एक बड़ा अंतर है। ग्रामीण आबादी कमोबेश कृषि पर निर्भर है जबकि उद्योग विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में विकास उद्योग की तुलना में बहुत धीमा

है जो दोनों के बीच आय स्तर के अंतर को बढ़ाता है। इसके अलावा, कृषि और उद्योग के बीच संबंध में एक निर्भरता संरचना है जो लाभ के मामले में ग्रामीण क्षेत्र को अधिक नुकसानदेह स्थिति में डालती है और इस प्रकार गरीबी और पिछड़ेपन को जन्म देती है। इसलिए ग्रामीण विकास की आवश्यकता है जिसे ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सबसे अच्छा किया जा सकता है।

**ग्रामीण उद्यमिता की अवधारणा**

ग्रामीण उद्यमी वे लोग हैं जो अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयाँ स्थापित करके उद्यमशील गतिविधियाँ करते हैं। ग्रामीण उद्यमिता को गाँव के स्तर पर बढ़ने वाली उद्यमिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवसाय, उद्योग, कृषि जैसे उद्यम के विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है और आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली कारण के रूप में कार्य करती है। खादी और ग्राम आयोग (KVIC) के दायरे में आने वाले उद्योगों को ग्रामीण उद्योग माना जाता है।[1] खादी और ग्राम आयोग के अनुसार, " ग्रामीण उद्योग का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग है, जिसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है, या ऐसा कोई अन्य आंकड़ा है जो बिजली के उपयोग के साथ या उसके बिना कोई सामान बनाता है या कोई सेवा प्रदान करता है और जिसमें प्रति कारीगर या श्रमिक का निश्चित पूंजी निवेश एक हजार रुपये से अधिक नहीं है।"[2]

इस परिभाषा को और व्यापक बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में इसमें कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र, गांव या कस्बे में स्थित कोई भी उद्योग जिसकी आबादी 20,000 या उससे कम हो और जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 3 करोड़ रुपये का निवेश हो, उसे ग्रामीण उद्योग माना जाता है। ग्रामीण उद्योगों को निम्नलिखित सात श्रेणियों में बांटा गया है -

**खनिज आधारित उद्योग:** जैसे पत्थर कुचलना, सीमेंट उद्योग, लाल ऑक्साइड बनाना, दीवार कोटिंग पाउडर आदि।

**वन आधारित उद्योग:** जैसे लकड़ी के उत्पाद, बांस के उत्पाद, शहद, वनौषधि उद्योग, पत्तों से खाने की प्लेटें बनाना।

**कृषि आधारित और खाद्य-आधारित उद्योग:** जैसे चीनी उद्योग, गुड़, तिलहन से तेल प्रसंस्करण, अचार, फलों का रस, मसाले, डेयरी उत्पाद आदि।

**पॉलिमर और रसायन आधारित उद्योग:** जैसे एलोवेरा जेल, मोमबत्ती उद्योग, अगरबत्ती का निर्माण।

**इंजीनियरिंग और गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित उद्योग:** जैसे कृषि उपकरण।

**वस्त्र उद्योग:** जैसे कताई, बुनाई, रंगाई, विरंजन।

**सेवा उद्योग:** जैसे ट्रैक्टर और पंपसेट मरम्मत आदि।

**ग्रामीण उद्यमिता के प्रकार**

**क. व्यक्तिगत उद्यमिता:** यह उद्यमिता का वह प्रकार है जिसमें एकल उद्यमी मालिक या एकमात्र स्वामी होता है। उद्यमी पूरा जोखिम उठाता है और व्यवसायिक निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है।

**ख. समूह उद्यमिता:** इसे मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: 1) निजी लिमिटेड कंपनी 2) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी 3) साझेदारी ।

(1) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी : इस मामले में, न्यूनतम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है और अधिकतम सदस्य 50 होते हैं। वित्तीय पूंजी को शेयरों में विभाजित किया जाता है और शेयर आम जनता को नहीं बेचे जाते हैं। इसलिए ऐसी कंपनियाँ आम तौर पर आकार में छोटी होती हैं और इनका स्वामित्व परिवारों के पास होता है। ऐसी कंपनियों में शेयरधारकों की देयता सीमित होती है।

(2) पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ : ऐसी कंपनियों में कम से कम सात सदस्यों की आवश्यकता होती है और अधिकतम सीमा नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड होने के कारण यह आम जनता से धन जुटा सकती है। नियंत्रण और स्वामित्व के बीच अलगाव होता है। शेयरधारक मालिक होते हैं लेकिन वे व्यवसाय के संचालन में

सक्रिय भागीदारी नहीं करते हैं। व्यवसाय का नियंत्रण निदेशक मंडल के हाथ में होता है।

(3) भागीदारी : इस मामले में कोई व्यक्तिगत स्वामी नहीं होता है और व्यवसाय को साझेदारों (अधिकतम 20) द्वारा संभाला जाता है। साझेदारी के लिए, आपसी विश्वास जरूरी है और सभी साझेदारों को समान लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए। साझेदारी कंपनियों का गठन करना आसान है और वे बड़े संसाधन प्रदान करती हैं लेकिन इसमें साझेदारों पर असीमित देयता होती है।

**ग. क्लस्टर गठन :** यह सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों का एक औपचारिक और अनौपचारिक समूह है। इसमें एनजीओ, वीओ, एसएचजी और सीबीओ शामिल हैं।

(1) एनजीओ (गैर-सरकारी संगठन) : ये सरकार द्वारा प्रायोजित या गठित गैर-लाभकारी संगठन हैं और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हैं। लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कम से कम सात लोगों को एक साथ रखा जाता है। ये औपचारिक संगठन हैं और आमतौर पर सरकार से धन प्राप्त करते हैं।

(2) वीओ (स्वैच्छिक संगठन): ये आम तौर पर व्यक्तियों द्वारा समाज की सेवा और लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए संगठन हैं। ये संगठन किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसे संगठन आम तौर पर एनजीओ या सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं।

(3) एसएचजी (स्वयं सहायता समूह): ये समूह मुख्य रूप से 10-20 लोगों से मिलकर बने होते हैं और इनका उद्देश्य एक-दूसरे की परस्पर सहायता करना होता है। इन समूहों को पिछड़े लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एनजीओ, वीओ और कभी-कभी सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह एक अनौपचारिक संगठन है।

(4) सीबीओ (समुदाय आधारित संगठन): ये अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं और इनका गठन समुदाय की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। आम

जीवन जीने वाले या आम समुदाय के लोग समुदाय के उत्थान के आम उद्देश्य से एक साथ आते हैं।

**(घ). सहकारिता :** अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के अनुसार, "सहकारिता व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।"[3]

**ग्रामीण उद्यमिता की आवश्यकता:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता की आवश्यकता है। ग्रामीण उद्यमिता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है –

**रोजगार सृजन:** ग्रामीण उद्यमिता श्रम गहन है और इसके लिए बड़ी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इसलिए, इसमें रोजगार सृजन की बड़ी क्षमता है और यह ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकता है।

**आय सृजन:** रोजगार उपलब्ध कराकर, ग्रामीण उद्यमिता में आय सृजन की क्षमता है और इस प्रकार ग्रामीण और शहरी असमानताओं के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।

**ग्रामीण विकास:** ग्रामीण उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में मदद करती है और इस प्रकार रोजगार सृजन और आय सृजन को बढ़ावा देती है जो सीधे तौर पर ग्रामीण विकास में मदद करती है।

**ग्रामीण-शहरी प्रवास पर अंकुश:** ग्रामीण विकास शहरों में असमान विकास को कम करके ग्रामीण-शहरी प्रवास पर अंकुश लगाने में मदद करता है।

**पर्यावरण अनुकूल:** ग्रामीण उद्योग अधिक पर्यावरण अनुकूल होते हैं , इसलिए इनसे बिना किसी नुकसान के विकास होता है।

**ग्राम गणराज्यों का निर्माण:** ग्रामीण उद्योगों का विकास ग्राम गणराज्यों के निर्माण के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार उन्हें अधिक स्वतंत्र बनाता है।

**जीवन स्तर में सुधार:** चूंकि ग्रामीण उद्यमिता आय सृजन में मदद करती है, जिससे समुदाय की समृद्धि में मदद मिलती है और इस प्रकार उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।

**संतुलित क्षेत्रीय विकास:** ग्रामीण उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के संकेन्द्रण को निर्देशित करेगी जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

**ग्रामीण उद्यमिता का दायरा**

ग्रामीण उद्यमिता सक्रिय है और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोल रही है, जिसकी चर्चा इस प्रकार है -

(1) ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता है और ये क्षेत्र गरीब एवं बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार एवं आय का सृजन करके अर्थव्यवस्था निर्माता के रूप में कार्य करते हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद में 52% से अधिक का योगदान दे रहे हैं।[4]

(2) इसके अलावा, छोटे और मध्यम उद्योग क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। इसलिए, मरम्मत की दुकानें, सर्विस सेंटर, पीसीओ, इंटरनेट कैफे, कृषि उपकरण और ट्रैक्टर किराए पर देने , कंप्यूटर और अन्य कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की गांवों के समूहों में अच्छी संभावनाएं हैं ।

(3) मनोरंजन, केबल टीवी, ग्रामीण पर्यटन और मनोरंजन पार्क (शहरी क्षेत्रों के निकट) भी सेवा क्षेत्र में ग्रामीण उद्यमियों के लिए संभावित क्षेत्रों में से कुछ हैं।

(4) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो सिविल/मैकेनिकल कार्यों के लिए ठेकेदारों को नियुक्त कर रहे हैं। ग्रामीण युवा इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं।[5]

(5) परिवर्तित उपभोग पैटर्न ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कीटनाशकों आदि का उपयोग किया जा रहा है।[6]

**ग्रामीण उद्यमियों के विकास में आने वाली समस्याएँ**

ग्रामीण उद्यमियों को निरक्षरता, जोखिम कारक, अनुचित प्रशिक्षण और अनुभव, सीमित क्रय शक्ति और शहरी उद्यमियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

(1) धन की कमी: ग्रामीण उद्यमियों को ग्रामीण उद्योगों में शामिल जोखिम के कारण बाहरी धन प्राप्त करना मुश्किल लगता है। इसके अलावा, ऋण सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी लंबी और बोझिल है कि इसके स्थगन से अक्सर ग्रामीण उद्यमी निराश हो जाते हैं।

(2) प्रतिस्पर्धा: ग्रामीण उद्यमियों को बड़े पैमाने के उद्योगों और शहरी उद्यमियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है क्योंकि उच्च इनपुट लागत के कारण उनकी उत्पादन लागत अधिक होती है।

(3) बिचौलिए: चूंकि ग्रामीण उद्यमियों के लिए छोटा बाजार उपलब्ध है, इसलिए वे अपने उत्पादों के विपणन के लिए बिचौलियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं और इस प्रकार बिचौलिए ग्रामीण उद्यमियों का शोषण करते हैं ।

(4) कानूनी औपचारिकताएँ: चूँकि ग्रामीण उद्यमी अशिक्षित और अज्ञानी होते हैं, इसलिए उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने में विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना बेहद मुश्किल लगता है। इसके अलावा, कानूनी औपचारिकताएँ इतनी जटिल और समय लेने वाली होती हैं कि उद्यमियों के लिए यह कठिन हो जाता है ।

(5) कच्चे माल की खरीद: ग्रामीण उद्यमियों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करना वास्तव में एक कठिन काम है। उन्हें खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल के साथ काम खत्म करना पड़ सकता है और भंडारण और गोदाम की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है।

(6) जोखिम तत्व : ग्रामीण उद्यमियों को बड़े पैमाने के उद्योगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और उनके लिए बड़ा बाजार उपलब्ध नहीं है । इसलिए, वित्तीय संसाधनों और बाहरी सहायता की कमी के कारण जोखिम लेने की क्षमता बहुत कम होती है।

(7) तकनीकी ज्ञान का अभाव: ग्रामीण उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान की कमी की समस्या से जूझना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण लोग अशिक्षित होते हैं तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव होता है जो ग्रामीण विकास में बाधा के रूप में कार्य करता है।

(8) बुनियादी सुविधाओं का अभाव: यद्यपि सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है, लेकिन उचित और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण उद्यमियों की वृद्धि बहुत अच्छी नहीं है।

(9) उत्पादों की खराब गुणवत्ता : मानक औजारों और उपकरणों की कमी तथा घटिया गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ग्रामीण उद्यमी घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करते हैं ।

(10) नकारात्मक रवैया: परिवार और समाज का माहौल ग्रामीण लोगों को उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने के लिए अनुकूल नहीं है। यह उद्यमिता के अवसरों के बारे में जागरूकता और ज्ञान की कमी के कारण हो सकता है।

**ग्रामीण उद्यमिता के लिए विकासात्मक रणनीतियाँ**

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यम के लिए रणनीति विकसित करते समय, भौतिक और मानवीय संसाधनों के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से ग्रामीण वास्तविकता की समग्रता को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण औद्योगिक उद्यम के लिए रणनीति तैयार करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता।

**सरकारी प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना:** सरकार को अपनी पहलों को कुछ गैर सरकारी संगठनों या ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली एजेंसियों के साथ समन्वयित करना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास के लिए नीतियों को सही क्रम में लागू किया जा सके।[7]

**प्रौद्योगिकी विकास:** ग्रामीण आबादी को नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराने के प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि तेजी से विकास हो सके।

**कौशल संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम:** ग्रामीण आबादी को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए ताकि ग्रामीण उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक उपलब्ध हो सकें।[8]

**भावी ग्रामीण उद्यमियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण:** भावी उद्यमियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें विभिन्न उद्यमियों की सफलता की कहानियाँ बताकर प्रेरित किया जाना चाहिए।

**आधुनिक बुनियादी सुविधाएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी सुविधाएं सृजित करना आवश्यक है ताकि उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके।

**ऋण आपूर्ति:** बैंकिंग और गैर-बैंकिंग एजेंसियों को सस्ते ऋण और कम शर्तों पर धन उपलब्ध कराना चाहिए।

**लघु एवं बड़े उद्योगों के बीच समन्वय:** लघु एवं बड़े उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लघु उद्योगों द्वारा निर्मित सस्ते उत्पादों का बड़े पैमाने पर विपणन किया जा सके।[9]

ग्रामीण उद्यमिता किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। हालांकि, ग्रामीण उद्यमियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके उद्यमों की सफलता में बाधक बनती हैं। इस शोध पत्र में, ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में आने वाली प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण किया गया है और उनके संभावित समाधानों पर विचार किया गया है। प्रमुख समस्याओं में वित्तीय संसाधनों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और कौशल का अभाव, विपणन और बाजार तक पहुँच की कमी, और तकनीकी ज्ञान की कमी शामिल हैं। इन समस्याओं के कारण, ग्रामीण उद्यमियों के लिए अपने व्यवसाय को स्थिर और लाभकारी बनाना कठिन हो जाता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय और सामुदायिक पहल सुझाई गई हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस और ऋण सुविधाओं का विस्तार, बुनियादी ढाँचे के विकास में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना शामिल हैं।

इस शोध पत्र का निष्कर्ष है कि ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, गैर-सरकारी संगठन, और निजी

क्षेत्र को मिलकर ग्रामीण उद्यमियों को समर्थन प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने व्यवसायों को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकें।

**संदर्भ**

1. घोष सौविक, दास उषा, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा, पृष्ठ संख्या 17, कुरूक्षेत्र जून 2001
2. Singh Katar, Rural Development: Principles, Policies, and Management, SAGE Publications. Page no 17.
3. अग्रवाल, ए., गांधी, पी., और खरे, पी. (2023) उद्यमिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: ग्रामीण भारत में सामाजिक उद्यमिता का केस अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मार्केटिंग बिजनेसेल एना बसी, 31(4), 1122-1142
4. महाजन शिवानी, ग्रामीण उद्यमिता- उद्यमिता विकास एवं परियोजना प्रबंधन ।
5. डॉ. अग्रवाल बी के, डॉ. पाठक अभय, उद्यमिता विकास, पृष्ठ संख्या 53, राम प्रसाद एंड संस भोपाल।
6. डॉ. गुप्ता यू सी, विश्वकर्मा सुमन, उद्यमिता विकास, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
7. डॉ. मिश्रा कुमार अश्वनी, उद्यमिता के मूल आधार, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
8. डॉ. अग्रवाल शालिनी, अग्रवाल राहुल, उद्यमिता का परिचय साहित्य भवन पब्लिकेशन।
9. डॉ. बघेल सिंह सुनील, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के विशेष संदर्भ में, सत्यम पब्लिशिंग हाउस 2019